

कार्यालय नियंत्रक, नाप तौल, म.प्र. भोपाल

क्रमांक 3461/नातौ/अ-1(1)/2000,

भोपाल दिनांक 23.6.2000

प्रति,

समस्त सहायक/उप नियंत्रक, एवं
निरीक्षक नाप तौल, म.प्र.

विषय:- टोलटलाईजर काउंटर का सत्यापन एवं मुद्रांकन।

म.प्र. बांट तथा माप मानक (प्रवर्तन) नियम 1989 में दिनांक 10.12.99 को राजपत्र में प्रकाशित किये गये संशोधन में टोटलाईजर काउंटर के सत्यापन के लिये रूपये 250/- सत्यापन शुल्क निर्धारित किया गया है। भारत शासन द्वारा अपने पत्र क्रमांक 3/1/93 दिनांक 3.2.2000 द्वारा अवगत कराया है कि कई राज्यों में इसका क्रियान्वयन करना प्रारंभ कर दिया है, यह भी अवगत कराया है कि इस प्रावधान का क्रियान्वयन किये जाते समय टोटलाईजर काउंटर का सत्यापन करते समय इस पर लगी आईल कम्पनी की सीलो को तोड़ा जा रहा है एवं निश्चय किया है कि उपभोक्ता हितों में दृष्टिगत रखते हुए आईल कम्पनी को भी टोटलाईजर काउंटर पर सील लगाने दी जावे एवं नाप-तौल के प्रवर्तन अधिकारी भी इन टोटलाईजर को सत्यापित एवं मुद्रांकित करें।

इस परीप्रेक्ष्य में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप भी टोटलाईजर काउंटर का सत्यापन एवं मुद्रांकन कार्य नियमानुसार रूपये 250/- शुल्क लेकर करे एवं आईल कम्पनी द्वारा लगाई गई सीलों से कोई छेड़ छाड़ न करें। भारत शासन से प्राप्त पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है।

संलग्न :- एक

नियंत्रक
नाप तौल, म.प्र. भोपाल